**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

---

**न्यायपीठ:** माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा एवं
माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

---

**दांडिक अपील क्रमांक 1022/2008**

**अपीलकर्ता :** सुरेन्द्र कुमार भोये, पिता — चित्रसेन भोये सौर्रा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी — ग्राम जयपुर टोरा, थाना — सारंगढ़, जिला — रायगढ़ (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी :** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना — सरिया, जिला रायगढ़

**(दांडिक अपील के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2))**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

श्री एच.एस. आहलूवालिया, : अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से
श्रीमती मधुमंथा सिंह, पैनल अधिवक्ता : राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से

---

## निर्णय

**(दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को पारित)**

**टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश :—**

1. इस अपील में दिनांक 25.10.2008 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को चुनौती दी गई है, जो कि अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 7/08 में पारित किया गया था। उक्त निर्णय द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को डकैती करने के उपरांत हत्या करने का दोषी पाते हुए

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 392 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदंड, तथा दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में क्रमशः छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मृतका के पति को ₹10,000/- प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) प्रदान किए जाने का भी निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभिलेख पर दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त तो क्या, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया, इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, दिनांक 15.04.2007 को प्रातः लगभग 6:00 बजे, दुर्भाग्यशाली मृतका सुशीला बाई, पति चक्रधर (अ॰ सा -4), शौच हेतु ग्राम जयपुर के खेत की ओर गई थी। उस समय वह सोने का हार एवं नाक की फुल्ली पहने हुई थी। वह अपने घर वापस नहीं लौटी, जिस पर उसके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। बाद में उसका आहत शरीर खेत में पाया गया, जिसमें नाक की फुल्ली एवं सोने का हार गायब थे। इस संबंध में मर्ग दर्ज किया गया,

जो प्रदर्श पी/1 है। तत्पश्चात एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की गई, जो प्रदर्श पी/24 है। अन्वेषणअधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा तथा गवाहों को प्रदर्श पी/5-ए के अंतर्गत आहूतवार की मृत्यु समीक्षा तैयार किया, जो प्रदर्श पी/6 है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा भी तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी/3 है। मृतका के शव को प्रदर्श पी/17-ए द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरमकेला में शव-परीक्षण हेतु भेजा गया, । डॉ. श्रीमती जे. चौधरी (अ॰ सा -10) ने प्रदर्श पी/18 द्वारा शव-परीक्षण किया , और शव-परीक्षण के दौरान मृतका के गले पर हार के जैसा निशान, नासाछिद्रों में सूखा रक्त, दाँतों से कटी हुई जीभ, नाखूनों का नीलापन, गर्दन पर सायनोसिस तथा सूजन के लक्षण पाए गए। मृत्यु का कारण गला घोंटे जाने से उत्पन्न श्वासावरोध पाया गया तथा मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। अन्वेषण के दौरान, लगभग छः माह के अंतराल पश्चात, दिनांक 05.10.2007 को अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त द्वारा सोने के हार एवं नाक की फुल्ली के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया गया, जो प्रदर्श पी/12 है। अभियुक्त के कथनानुसार कुएँ से पानी निकलवाकर सोने का हार बरामद किया गया, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी/13 के अंतर्गत की गई। उक्त हार की पहचान मृतका के पति चक्रधर (अ॰ सा -4) एवं अन्य परिजनों द्वारा की गई। इसमें नक्शा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी/15 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4॰ गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए तथा अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को विचारण हेतु उपार्पित किया। जंहा से यह प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़ को स्थानांतरण पर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5॰ अभियुक्त/अपीलकर्ता के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाया जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6॰ अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किए जाने के विरुद्ध यह अपील माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई।

7॰ हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवधारित किया।

8॰ अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह प्रकरण हत्या एवं लूट का है। अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन घटना के लगभग छह माह पश्चात दर्ज किया गया है तथा कथित बरामदगी खुले कुएँ से की गई है, जो अपीलकर्ता के विशिष्ट एवं एकाधिकार कब्ज़े में नहीं था। अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता को उक्त अपराध से जोड़ने हेतु कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। केवल प्रकटीकरण कथन एवं बरामदगी के आधार पर, वह भी जब अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध नहीं की गई हो, अधिकतम यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता के पास वे वस्तुएँ पाई गईं, जो मृतका के शरीर से हटाई गई थीं; ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को अधिकतम भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9॰ इसके विपरीत राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता ग्राम जयपुर (थाना सारंगढ़) का निवासी है तथा उसके कब्ज़े से मूल्यवान स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए, जो अपराध की विषय-वस्तु थे। लूट एवं हत्या की घटना के पश्चात उक्त आभूषण उसी व्यक्ति द्वारा ले जाए गए होंगे, जिसने मृतका की लूट एवं हत्या की। अपीलकर्ता के कब्ज़े से उक्त आभूषणों की बरामदगी उसके विरुद्ध एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य है तथा

जब तक इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तब तक यही एकमात्र उपधारणा संभव है कि अपीलकर्ता ने ही मृतका की लूट एवं हत्या की है। विद्वान पैनल अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया जाना पूर्णतः उचित है।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का सम्यक् मूल्यांकन करने हेतु हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परीक्षण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में मृतका सुशीला बाई की गर्दन पर घातक चोटों, विशेष रूप से गला घोंटे जाने के कारण हुई मानव वध का तथ्य अपीलकर्ता की ओर से सात्विक रूप से आक्षेपित नहीं किया गया है; अन्यथा भी उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। यह तथ्य डॉ. श्रीमती जे. चौधरी (अ॰ सा -10) के साक्ष्य तथा शव-परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/18) से स्थापित होता है कि मृतका सुशीला बाई की मानव वध प्रकृति की थी।

12. जहाँ तक वर्तमान अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता का प्रश्न है, इस प्रकरण में स्वर्ण आभूषणों की लूट तथा सुशीला बाई की हत्या का तथ्य अपीलकर्ता की ओर से विशेष रूप से आक्षेपित नहीं किया गया है। यह तथ्य मृतका के पति चक्रधर

(अ॰ सा -4) के साक्ष्य से भी सिद्ध होता है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि घटना के दिन उनकी पत्नी सुशीला बाई शौच हेतु खेत की ओर गई थी, किंतु वापस नहीं लौटी। तत्पश्चात उनकी खोजबीन की गई, जिस दौरान मृतका का आहत शरीर खेत में पड़ा हुआ पाया गया। मृतका द्वारा पहना गया सोने का हार एवं नाक की फुल्ली गायब थे, जिससे यह स्पष्ट था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट की गई थी। वे मृतका के आहत शरीर को घर ले जा रहे थे, और यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रामसिंह ठाकुर (अ॰ सा -5) के साक्ष्य के कंडिका -4 के अनुसार, अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी/11 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने बताया कि सोने का हार कुएँ में रखा गया है। तत्पश्चात कुएँ का पानी निकलवाया गया और सोने का हार कुएँ से बरामद किया गया, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी/12 के अंतर्गत की गई। चेतन विशी (अ॰ सा -6) ने भी रामसिंह ठाकुर (अ॰ सा -5) के साक्ष्य का समर्थन किया, तथापि अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका -6 में उसने यह कहा कि पुलिस द्वारा अपीलकर्ता से पूछताछ नहीं की गई थी। अन्वेषण अधिकारी किशोर केरकेट्टा (अ॰ सा -14), जिन्होंने प्रकटीकरण दर्ज किया, ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि पूछताछ के दौरान अपीलकर्ता ने सोने के हार एवं नाक की फुल्ली के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया तथा बताया कि उक्त आभूषण कुएँ में रखे गए हैं। तत्पश्चात कुएँ का पानी निकलवाया गया, जिससे सोने का हार बरामद हुआ, किंतु नाक की फुल्ली कुएँ से बरामद नहीं हुई। प्रकटीकरण एवं जप्ती क्रमशः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी/11 एवं पी/12 के अंतर्गत दर्ज की गई। गोविन्दनाथ प्रधान (अ॰ सा -7) ने भी उपर्युक्त तथ्यों का समर्थन किया।

13. बचाव पक्ष द्वारा उपर्युक्त गवाहों की विस्तृत प्रतिपरीक्षण की गई। यद्यपि प्रदर्श पी/10 से प्रदर्श पी/13 तैयार किए जाने के संबंध में कुछ विरोधाभास, विलापन एवं विसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं, तथापि सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार एवं अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलकर्ता ने सोने के हार एवं नाक की फुल्ली के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया था तथा सोने का हार अपीलकर्ता के कथन पर बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रदर्श पी/15 में दर्शित नक्शे से यह पता चलता है कि कथित कुआँ अपीलकर्ता एवं उसके परिवार के बाड़ी के भीतर स्थित है तथा वे उसी कुएँ का उपयोग अपने बाड़ी की सिंचाई हेतु करते हैं। उक्त कुआँ अन्य ग्रामीणों के सामूहिक उपयोग हेतु नहीं है। वर्तमान अपीलकर्ता कृषक है। सोने का हार अपीलकर्ता के कथन पर, कुएँ का पानी निकलवाकर, कुएँ के भीतर से बरामद किया गया है। कुएँ के भीतर पड़ी वस्तु दृश्यमान नहीं थी, अतः किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपधारणा लगाना संभव नहीं था कि कुएँ के भीतर कोई वस्तु पड़ी होगी। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें

किसी शत्रुता, संदेह अथवा अन्य कारणों से अपीलकर्ता को झूठा फँसाया गया हो। अपीलकर्ता उसी गाँव का निवासी भी है। किशोर केरकेट्टा (अ॰ सा -14) के साक्ष्य के कंडिका -4 के अनुसार, बरामद स्वर्ण आभूषण का मूल्य लगभग ₹10,000/- था। उक्त मूल्यवान स्वर्ण आभूषण अपीलकर्ता के कथन पर तथा उसके कब्ज़े के भीतर से बरामद किया गया। अपीलकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे यह जानकारी कैसे हुई कि सोने का हार कुएँ के भीतर है तथा उसे वहाँ किसने फेंका। कथित सोने का हार मूल्यवान वस्तु है, जो ग्रामीणों के पास सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. लूट एवं हत्या की घटना दिनांक 15.04.2007 को घटित हुई थी तथा बरामदगी 05.10.2007 को, अर्थात् घटना के लगभग 5 माह 20 दिवस पश्चात की गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (अ) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति के "चोरी के शीघ्र पश्चात" उसके कब्ज़े में पाया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि वह या तो स्वयं चोर है अथवा उसने यह जानते हुए कि वस्तु चोरी की है, उसे प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्ज़े का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके।

16. चोरी के पश्चात **"शीघ्र"** शब्द के अर्थ तथा अपराध की तिथि और संपत्ति की बरामदगी के मध्य समयांतराल के संबंध में **गणेशलाल बनाम राज्य राजस्थान** प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ऐसा उपधारणा लगाते समय अपराध की तिथि एवं अभियुक्त के कब्ज़े से चोरी की संपत्ति की बरामदगी के मध्य का समयांतराल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उचित सावधानी बरतना आवश्यक है कि अभियुक्त न केवल लूट अपितु मृतका की हत्या किए जाने का भी दोषी है। यह उपधारणा मृतका की चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के आधार पर स्थापित होता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-15 में निम्नानुसार अवधारित किया है:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. इस न्यायालय के अनेक निर्णयों की समीक्षा, जिनमें से कुछ का उल्लेख उपर्युक्त किया गया है, से निम्न विधिक सिद्धांत उभरता है। अभियुक्त के कब्ज़े से चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी, केवल चोरी या डकैती ही नहीं, बल्कि अन्य अपराधों के किए जाने के संबंध में भी अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा स्थापित करने में सहायक होती है, जिससे उसे उन अन्य अपराधों का भी कर्ता माना जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित परीक्षण संतुष्ट हों : (i) अभियुक्त के कब्ज़े से बरामद वस्तुओं से संबंधित दांडिक न्यासभंग, चोरी या डकैती तथा अन्य अपराधों को एक ही लेन-देन का अभिन्न अंग माना जा सके;(ii) अपराध

की तिथि और अभियुक्त से वस्तुओं की बरामदगी की तिथि के मध्य समयांतराल इतना अधिक न हो कि बरामदगी और अपराध के बीच की कड़ी टूट जाए; (iii) मात्र बरामदगी के अतिरिक्त कोई अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य या परिस्थिति उपलब्ध हो, जो अभियुक्त को उन अन्य अपराधों से जोड़ती हो; तथा (iv) न्यायालय द्वारा यह सावधानी बरती जाए कि संदेह, चाहे वह कितना ही प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान न ले। ऐसे मामलों में अभियुक्त द्वारा चोरी की संपत्ति के अपने कब्ज़े के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध उपलब्ध आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना है। अभियुक्त के लिए बोलना या स्पष्टीकरण देना अनिवार्य नहीं है। तथापि, जब प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, तब चोरी की संपत्ति के अपने कब्ज़े के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में अभियुक्त की विफलता, यद्यपि अपने-आप में आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं है, तथापि अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा स्थापित करने में सहायक होती है, क्योंकि यह तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में होता है और उससे अपेक्षित था कि वह इसका स्पष्टीकरण देता, जो उसने नहीं दिया।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. चोरी के पश्चात **"शीघ्र"** शब्द की व्याख्या के संबंध में **अलीशेर बनाम राज्य उत्तर प्रदेश** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका -5 में निम्नानुसार अवधारित किया है :—

"5. ..... मान लीजिए कि पिट डायमंड या क्राउन ज्वेल्स चोरी हो जाते हैं और एक या दो वर्ष के पश्चात वे किसी ऐसे व्यक्ति के कब्ज़े में पाए जाते हैं, जो जीवन के तुलनात्मक रूप से साधारण स्तर पर है और वह यह बताने से इंकार कर देता है कि उसे वे कहाँ से प्राप्त हुए—तो क्या मान लेने से कोई कठोरता या अतिशयोक्ति होती कि उसने वे वस्तुएँ ईमानदारी से प्राप्त नहीं की थीं, किंतु यदि खोई हुई वस्तुएँ मात्र एक जोड़ी जूते हों, या ऐसी वस्तु हो, जिसे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में पहनना स्वाभाविक एवं उचित माना जाए, और यदि वे वस्तुएँ चोरी की तिथि से कई माह पश्चात उसके कब्ज़े में पाई जाएँ, तो उसे चोर मान लेने जैसा कठोर उपधारणा बना लेना कितना अन्यायपूर्ण है, यह तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान प्रकरण में हत्या एवं लूट एक ही लेन-देन के अभिन्न अंग के रूप में घटित हुई हैं तथा मूल्यवान स्वर्ण आभूषण अपीलकर्ता के कब्ज़े से बरामद किया गया है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया

गया। इसी प्रश्न पर, अर्थात् अपराध का एक ही लेन-देन का भाग होना तथा अपराध की तिथि और संपत्ति की बरामदगी के मध्य समयांतराल के संबंध में, एराबद्रप्पा उर्फ कृष्णप्पा बनाम राज्य कर्नाटक के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि समयांतराल के पश्चात भी ऐसी वस्तु की बरामदगी यह उपधारणा स्थापित करने हेतु पर्याप्त है कि जिस अभियुक्त के कब्ज़े से मूल्यवान वस्तु बरामद हुई है, उसी ने हत्या एवं लूट की है। उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्ष के समयांतराल को भी अपराध के "शीघ्र पश्चात" का कब्जा माना है। उक्त निर्णय का कंडिका -13 इस प्रकार है :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. यह ऐसा प्रकरण है जिसमें हत्या एवं लूट एक ही और समान लेन-देन के अभिन्न अंग सिद्ध हुए हैं, और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा यह है कि अपीलकर्ता ने न केवल मृतका की हत्या की, अपितु उसी लेन-देन के अंतर्गत उसके सोने के आभूषणों की लूट भी की। अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता को अपराध के किए जाने से जोड़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अ॰ सा -3 के घर से अपीलकर्ता का 22 मार्च 1979 की सुबह अचानक लापता हो जाना, उसी समय यह पाया जाना कि मृतका की गला घोंटकर हत्या की गई थी तथा उसके सोने के आभूषण हटा लिए गए थे,

और इसके साथ यह परिस्थिति कि अपीलकर्ता एक वर्ष से अधिक अवधि तक फरार रहा तथा अंततः 29 मार्च 1980 को ग्राम होसाहैली में अ॰ सा - 26 द्वारा गिरफ्तार किया गया—इन सभी परिस्थितियों को, इस तथ्य के साथ कि गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात उसने प्रदर्श पी-35 के अंतर्गत कथन दिया, जिसके परिणामस्वरूप चोरी गई वस्तुओं की बरामदगी हुई—साथ में देखने पर यह आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष उत्पन्न होता है कि अपीलकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मृतका की हत्या एवं उसके सोने के आभूषणों की लूट का दोषी नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा चोरी की संपत्ति के अपने कब्ज़े के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत, उसने यह अस्वीकार किया कि चोरी की संपत्ति उसकी ओर से बरामद की गई थी। अपने-आप में यह झूठा इंकार "एक आपत्तिजनक परिस्थिति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले उपधारणा की प्रकृति, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह निर्धारित करने हेतु कि कब्ज़ा हाल का है या नहीं, कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती; प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि उपधारणा स्थापित करने के लिए हाल का कब्ज़ा क्या माना जाएगा, इस बात पर भी निर्भर करता है कि चोरी गई वस्तु आसानी से हाथों-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हाथ स्थानांतरित होने योग्य है या नहीं। यदि चोरी गई वस्तुएँ ऐसी हों, जो सामान्यतः आसानी से हाथों-हाथ स्थानांतरित होने योग्य न हों, तो एक वर्ष की अवधि का बीत जाना भी अत्यधिक लंबा नहीं कहा जा सकता, विशेषकर तब, जब उस अवधि के दौरान अपीलकर्ता फरार रहा हो। अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि और चोरी गई संपत्ति की बरामदगी के मध्य कोई समयांतराल नहीं था।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत उपधारणा के प्रश्न पर, जब हत्या, चोरी एवं बलात्कार एक ही लेन-देन के अभिन्न अंग के रूप में घटित हुए हों, गणेशलाल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि उपर्युक्त बरामदगी यह उपधारणा करने हेतु पर्याप्त है कि अभियुक्त ने बलात्कार, हत्या एवं चोरी के अपराध किए हैं तथा न्यायालय प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता से मुक्त होकर, ऐसे तथ्यों के संबंध में उपधारणा कर सकता है, जो धारा 114 के अंतर्निहित तर्क एवं विवेक को लागू करते हुए आवश्यक रूप से विद्यमान माने जा सकते हैं। उक्त निर्णय के कंडिका -12 एवं 13 इस प्रकार हैं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 यह प्रावधान करती है कि न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व का उपधारणा कर सकता है, जिसे वह घटित हुआ होना संभाव्य समझे, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम, मानवीय आचरण तथा सार्वजनिक एवं निजी व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए। दृष्टांत (a) यह प्रावधान करता है कि चोरी के शीघ्र पश्चात चोरी की गई वस्तुओं के कब्ज़े में पाया गया व्यक्ति, जब तक कि वह अपने कब्ज़े का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके, न्यायालय द्वारा या तो चोर या यह जानते हुए कि वस्तुएँ चोरी की हैं, उन्हें प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न उपधारणा विधि का नहीं, बल्कि तथ्य का उपधारणा होता है। किसी दिए गए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, इस उपधारणा की शक्ति पर भरोसा करते हुए, न्यायालय कुछ ऐसे तथ्यों के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता से मुक्त हो सकता है, जिन्हें धारा 114 के अंतर्निहित तर्क एवं विवेक को लागू करते हुए आवश्यक रूप से विद्यमान माना जा सकता है। जहाँ एक से अधिक अपराध एक ही लेन-देन के भाग के रूप में घटित हुए हों, वहाँ मृतक की संपत्ति का हालिया एवं अस्पष्टीकृत कब्ज़ा अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा स्थापित करने में सक्षम हो सकता है कि वह न केवल चोरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या डकैती के अपराध का, बल्कि उस लेन-देन का भाग बने अन्य अपराधों का भी दोषी है।"

13. बैजू बनाम राज्य मध्यप्रदेश, एराभद्रप्पा (पूर्वोक्त) , गुलाबचंद बनाम राज्य मध्यप्रदेश, मुकुंद बनाम राज्य मध्यप्रदेश तथा ए. देवेंद्रन बनाम राज्य तमिलनाडु (कंडिका -20) के प्रकरणों में यह सिद्ध किया गया कि हत्या एवं लूट एक ही और समान लेन-देन के अभिन्न अंग थे तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा को लागू करते हुए अभियुक्त को न केवल लूट, अपितु मृतक की हत्या का भी दोषी ठहराया गया। उक्त उपधारणा मृतक की चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी पर आधारित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत, मूल्यवान वस्तुओं की बरामदगी अपीलकर्ता के कथन पर की गई है। यद्यपि अपराध के घटित होने और संपत्ति की बरामदगी के मध्य कुछ समयांतराल है, तथापि बरामदगी एवं अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के मध्य कोई समयांतराल नहीं है। अपीलकर्ता को अभिरक्षा में लिया गया तथा बरामदगी के पश्चात उसकी गिरफ्तारी प्रदर्श पी/27 के अंतर्गत की गई।

21. उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत उपलब्ध उपधारणा के प्रकाश में, एकमात्र निष्कर्ष यही संभव है कि अपीलकर्ता ने सुशीला बाई की हत्या की तथा मूल्यवान वस्तुओं की लूट भी की।

22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के पश्चात, अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़ द्वारा अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सम्यक् परीक्षण के उपरांत, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई अवैधता अथवा त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

24. परिणामस्वरूप, यह अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही /- सही /-

टी. पी. शर्मा आर. एन. चंद्राकार
न्यायाधीश न्यायाधीश

====0000====

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया

जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by Prashant Parakh, Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur